

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- (2) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका
तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2020

विषय : उत्तर प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम हेतु कोरन्टाइन करने एवं अन्य उपाय लागू करने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण एवं उसके निवारण/नियंत्रण हेतु संक्रमित लोगों को कोरन्टाइन करने एवं उनके मध्य सम्पर्क को कम करके समाज में बीमारी के प्रसार को रोकने/कम करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-581/पांच-5- 2020, दिनांक 17.03.2020 द्वारा प्रभावी कदम उठाने हेतु एडवाइजरी निर्गत की गयी है।

2- तत्कम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि नोवल कोरोना वायरस डिजीज (कोविड-19) के प्रसार पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय :-

- (1) चिकित्सालयों की संक्रमण नियंत्रण समिति को सक्रिय कर चिकित्सालयीय संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रबन्ध किया जाना चाहिए।
- (2) चिकित्सालयों में फ्लू कार्नर की स्थापना किया जाना चाहिए।
- (3) वार्ड में रोगी की सहायता के लिए केवल एक ही अटेन्डेन्ट को अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।
- (4) रोगी के अटेन्डेन्ट के रूप में वृद्ध व्यक्तियों को प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए।
- (5) चिकित्सालयों की ओपीडी में बैठने वाले चिकित्सकों, फ्रन्ट डेस्क, पंजीकरण पटल, औषधि वितरण केन्द्र, प्रयोगशाला एवं फ्लू कार्नर पर

